कार्यालय :– सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, (नैनीताल)

विज्ञप्ति

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कालेज एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को 616 छात्रवृत्ति (308 बालकों तथा 308 बालिकाओं के लिए) संस्तुत की जानी है। इन छात्रवृत्तियों को विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों में क्रमशः 3:2:1 में वितरित किया जाना है। मंत्रालय द्वारा इस छात्रवृत्ति के लिए अर्ह विद्यार्थियों का चयन इण्टरमीडिएट की परिषदीय परीक्षा 2015 में सम्मिलित Top 20 % उत्तीर्ण विज्ञान, वाणिज्य एवं कला विषयों के परीक्षार्थियों में से किया जाना है। ऐसे विद्यार्थी यदि छात्रवृत्ति हेतु चयनित कर लिए जाते हैं तो उन्हें प्रथम तीन वर्षो में रू0 10000.00 (दस हजार रूपया मात्र) प्रति वर्ष एवं चौथे तथा पांचवे वर्ष में रू0 20000.00 (बीस हजार रूपया मात्र) प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। उपरोक्त छात्रवृत्ति में आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार के मानकों के अनुरूप है, **जो विद्यार्थी उक्त छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वे National e-Scholarship Portal (http://Scholarship.gov.in) पर दिनांक 30 सितम्बर, 2015 तक अपना रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, छात्रवृत्ति सम्बन्धी अन्य सभी सूचनायें National e-Scholarship Portal से प्राप्त कर सकते हैं।** उपरोक्त छात्रवृत्ति हेतु Top 20 % के आधार पर निम्न योग्यताधारी ही अर्ह होंगे–

1. विज्ञान वर्ग में न्यूनतम 62.40 प्रतिशत अंक (312 / 500 अंक) तथा कृषि वर्ग में न्यूनतम 67.90 प्रतिशत अंक (679 / 1000 अंक) प्राप्त किये हों।
2. वाणिज्य वर्ग में न्यूनतम 54.60 प्रतिशत अंक (273 / 500 अंक) प्राप्त किये हों।
3. कला वर्ग में न्यूनतम 55.20 प्रतिशत अंक (276 / 500 अंक) प्राप्त किये हों।
4. संस्थागत विद्यार्थियों के रूप में सत्र 2015–16 में किसी मान्यता प्राप्त कालेज के विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों।
5. विद्यार्थी को किसी अन्य श्रोत से कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त न हो रही हो।
6. जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय रूपया 6.00 लाख से अधिक न हो और क्रीमीलेयर की परिधि से बाहर हो।

- **इण्टरमीडिएट परिषदीय परीक्षा वर्ष 2015 के परीक्षार्थी Fresh (नवीन) छात्रवृत्ति हेतु पूरित आवेदन पत्र उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल) को कदापि प्रेषित न करें, केवल उक्त मंत्रालय की बेवसाइट पर ही ऑनलाइन आवेदन करें।**
- **जिन विद्यार्थियों को केन्द्रीय छात्रवृत्ति योजना के तहत वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–15 हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की गयी थी। यदि वे नवीनीकरण हेतु अर्ह हो तो वे उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की बेवसाइट www.ubse.uk.gov.in से आवेदन पत्र डाउनलोड करने के उपरान्त फॉर्म को पूरित कर अंकतालिका की प्रमाणित प्रति सहित परिषद् कार्यालय को दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में यदि वे छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं तो स्वयं उत्तरदायी होंगे।**

नोट :– उपरोक्त कटऑफ मेरिट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या F.1-17/2009-NS.I Dated 30.07.2009 के निर्देशानुसार जारी की जा रही है। उक्त कटऑफ मेरिट मात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए ही अर्ह है, तथा छात्रवृत्ति प्राप्त होने की कोई गारन्टी नहीं देता है। छात्रवृत्ति का अंतिम आंवटन मंत्रालय द्वारा बनाई गयी योग्यता सूची एवं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार होगा, जिसमें परिषद् कार्यालय की कोई भूमिका नहीं है।

07/09/2015

(डा0 आर0डी0 शर्मा)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद,
रामनगर (नैनीताल)।